सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 306 राँची, शनिवार 12 वैशाख, 1937 (श०)

2 मई, 2015 (ई०)

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

(भू-अर्जन निदेशालय)

अधिसूचना

2 मई, 2015

संख्या-10/डी.एल.ए. विविध - 46/2001-166-- भूमि अर्जन**,** पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम**, 2013** के लागू होने के कारण अर्जनाधीन भूमि के प्राक्कलन राशि में करीब चार गुना बढ़ोतरी होने के फलस्वरूप झारखण्ड भूमि अर्जन**,** पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार नियमावली**, 2015** की धारा-**31 (7)** के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पंचाट घोषणा के पूर्व निम्नलिखित कोटि के मामलों में अनुमोदन/स्वीकृति के लिए निम्नवत् प्राधिकृत किया जाता हैं:-

1. अर्जनाधीन भूमि का वास्तविक क्षेत्र**,** और

2. निम्नांकित राशि तक भूमि के देय क्षतिपूर्ति**,**

(i) जिला के उपायुक्त वैसे कोटि के मामलों में जहाँ कुल क्षतिपूर्ति पच्चीस करोड़ रूपये से अधिक न हो ।

(ii) प्रमंडलीय आयुक्त वैसे कोटि के मामलों में जहाँ कुल क्षतिपूर्ति पच्चीस करोड़ रूपए से अधिक परन्तु पचास करोड़ रूपये से अधिक नहीं हो ।

(iii) राज्य सरकार द्वारा वैसे भू-अर्जन मामलों में पूर्वानुमोदन दिया जाएगा जिनमें कुल क्षतिपूर्ति की राशि पचास करोड़ रूपये से अधिक होगी ।

परन्तु वैसी कोटि के भू-अर्जन मामले जिनमें अर्जनाधीन भूमि का दर निर्धारण प्रति एकड़ दो करोड़ रूपये तक होगा**,** को निर्धारित करने हेतु उपायुक्त प्राधिकृत होंगे और दो करोड़ रूपये से लेकर पाँच करोड़ रूपये तक प्रति एकड़ अर्जनाधीन भूमि का दर निर्धारित करने हेतु प्रमंडलीय आयुक्त प्राधिकृत होंगे। उपर्युक्त सीमा से अधिक जमीन के दर निर्धारण में राज्य सरकार की स्वीकृति आवश्यक होगी तथा वैसे भू-अर्जन मामले सरकार के पास पूर्वानुमोदन के लिए भेजे जायेंगे ।

भूमि अर्जन**,** पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम**, 2013 (LARR Act, 2013)** की धारा-**24 (1)** के अंतर्गत आच्छादित मामलों में भी उपरोक्त कंडिकाओं में वर्णित निर्धारित सीमा के अंतर्गत अनुमोदन/स्वीकृति दी जायेगी ।

इसके अतिरिक्त ऐसे व्यक्तियों जिनका हित अर्जित भूमि में सन्निहित हो या सन्निहित समझा जाता हो**,** के बीच क्षतिपूर्ति का विभाजन अनुमोदित करने के लिए उपायुक्त को प्राधिकृत किया जाता है ।

उक्त आलोक में अधिसूचना संख्या-सं**--10/**डी.एल.ए. विविध-**46/2001- 671 /**रा.**,** राँची**,** दिनांक-**06** नवम्बर**, 2013** को इस हद तक संशोधित समझा जाए ।

3. प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद की दिनांक **28** अप्रैल**, 15** की बैठक में मद संख्या-**4** के रूप में स्वीकृति प्राप्त है।

4. यह अधिसूचना तत्काल प्रभाव से लागू होगी ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से**,**

कमल किशोर सोन,

सरकार के सचिव ।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 306--50 ।